02

—प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा

डिक्री

दिनांक :—10/11/2025

वादी की ओर से श्री अशोक कुमार अधिवक्ता, प्रतिवादीगण संख्या 1 की ओर से श्री संजय चाण्डक अधिवक्ता व राजपैरोकार इस वाद मे आज दिनांक को **उमा मित्तल आर.ए.एस.** उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि, उभय पक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर वाद पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88,49,209 के अन्तर्गत वाद मे निम्नानुसार घोषणा की जाती है कि —

1. वादी को प्राप्त भूमिः— चक 11 एल.के.एस.ए के खाता सख्या 91 के प.न. 13/276 (11) के किला न. 8/2/ 0.127, 9 ता 15 की कुल 1.898 में से इन्द्र कुमार के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा अर्थात .949 हैक0 नहरी व इसी चक के खाता संख्या 66 के प.न. 14/276 (12) के किला न. 16/4/0.010, 25/2/0.013 हैक की कुल कुल 0.023 है में इन्द्र कुमार के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा अर्थात 0.0115 हैक0 नहरी व इसी चक के खाता संख्या 67 के प.न. 13/276 (11) के किला न. 1 ता 7, 8/1/0.126 हैक0 की कुल 1.897 हैक0 नहरी में इन्द्र कुमार के दर्ज 1/2 हिस्सा अर्थात .9485 है. इसी तरह तीनो खातो की कुल 1.909 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्ताकर घोषित किया जाता है। उक्त खातों से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाता है शेष खाता यथावत रहेगा इस प्रकार उक्त खातों में वादी विनोद कुमार एकल खातेदार काश्तकार रहेगा।

2. प्रतिवादी संख्या 1 को प्राप्त भूमि :—चक 24 एम.ओ.डी के खाता सं. 50 के पन 6/274 (35) के किला न. 1/1/0.202, 1/2/0. 051, 9 ता 14, 15/1/0.177, 15/2/0.051, 15/3/0.025, 16/1/0.177, 16/2/0.051, 16/3/ 0.025, 17 ता 22 की कुल 3.795 हैक0 नहरी गै.मु. रास्ता खाला मे वादी विनोद कुमार का 1543/3795 हिस्सा यानी 1.543 हैक0 का प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्ताकर घोषित किया जाता है एवं पर्वू में प्रतिवादी संख्या 1 के दर्ज 1.543 इस तरह कुल 3.086 हैक0 नहरी गै.मु. रास्ता खालाकृषि भूमि का

सहायक कलक्टर
पीलीबंगा
जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.12.30 16:24:42 IST
Reason: SelfAttested

खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादी विनोद कुमार का नाम कलमजन किया जाता है। शेष खाता यथावत रहेगा।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड़ पायतन, आराजीराज न होनें तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होनें, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होनें की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होनें तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न होनें की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसें किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 10/11/2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(उमा मित्तल आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.12.30 16:24:42 IST
Reason: SelfAttested